उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट महवा जिला दौसा

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्य जज निर्भय सिंह वगै0 बनाम अतर सिंह वगै0 मु0 नं. 50 / 2022		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
13.04.2026	आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 20.04.2026 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा	
20.04.2026	आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 09 जा0दी0 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि उनवानी प्रकरण में दिनांक 03.03.2022 की तारीख पेशी नियत थी उक्त दिनांक को वादी की तबीयत खराब होने के कारण नियत पेशी पर हाजिर अदालत नही आ सका तथा वादी के अधिवक्ता दीगर न्यायालय में व्यस्त होने के कारण आवाज पर उपस्थित नही हो सके। यही कारण से उक्त उनवानी प्रकरण में न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 03.03.2022 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में मुकदमा खारिज फरमा दिया गया। उनवानी प्रकरण में वादीगण का हित निहित होने के कारण उन्हे सुना जाना न्यायहित में आवश्यक है। जिससे मुकदमे का निस्तारण गुण अवगुण के आधार पर हो सके। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण के उपस्थित नही आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। हमने वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 जा0दी0 पर एकपक्षीय बहस सुनी। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। बाद गौर बहस व पत्रावली के अवलोकन पर पाया कि उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण का हित निहित है। न्यायहित में प्रार्थीगण के हितो को देखते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 स्वीकार योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण के वादपत्र को पुनः नंबर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर मूल वाद संलग्न रहे। आदेश सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी	